तत्काल/समयबद्ध

संख्या:– 4059 /71–2–2016–37/2016

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर, 2016

विषय:– **निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों द्वारा संचालित बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित डेन्टल कालेजों (अल्पसंख्यक डेन्टल कालेजों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित डेन्टल कालेजों को छोड़कर) के बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–10 (1) के अन्तर्गत प्राविधानित प्रवेश एवम् फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 19–09–2016 के कार्यवृत्त मे समिति द्वारा अन्तिम रूप से शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु 03 माह का समय प्रदान किये जाने अनुरोध किया गया है।

2– रिट याचिका संख्या–20575/एम0बी0/2016 अनएेडेड मेडिकल कालेजेज वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य तथा सम्बद्ध 14 अन्य रिट याचिकाओं में मा0उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–09–2016 एवम् दंत आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2016 के अनुसार अकादमिक वर्ष 2016–17 में बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अन्तिम तारीख, जिस तक, किसी कारण से हुई रिक्तियों के प्रति छात्र प्रवेशित किए जा सकते हैं 30 सितम्बर, 2016 निर्धारित है।

3– उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–10 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित डेन्टल कालेजों की काउन्सिलिंग दिनांक 23 सितम्बर, 2016 से की जानी है। फीस नियमन समिति द्वारा अल्प समयावधि में

Scanned by CamScanner

फीस निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतएव उक्त समिति द्वारा किये गये अनुरोध को स्वीकार करते हुए, शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शैक्षणिक सत्र–2016–17 हेतु बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम के लिए निम्नांनुसार शुल्क निर्धारित किया जाता हैः–

1. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों/निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित डेन्टल कालेजों का शैक्षणिक सत्र 2016–17 हेतु अन्तरिम शुल्क, उक्त अधिनियम की धारा–10 (1) के अन्तर्गत अंतिम शुल्क अवधारित होने तक, अस्थायी रूप से निर्धारित किया जाता है।

2. निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों तथा निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित डेंटल कालेजों के बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की अस्थायी रूप से अन्तरिम शुल्क फ्लैट दर से रू0 **3,25,000.00** (रूपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) से अनधिक प्रति छात्र/प्रति वर्ष निर्धारित किया जाता है।

3. उक्त बिन्दु– 2 में अस्थायी रूप से निर्धारित अन्तरिम शुल्क का निर्धारण इस शर्त के अधीन होगा कि उक्त फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित अंतिम फीस के सापेक्ष इस अंतरिम फीस का समायोजन किया जायेगा।

4. उपर्युक्तानुसार अन्तरिम रूप से निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट **http://upmededu.in** पर प्रदर्शित की जायेगी तथा डेन्टल कालेजों द्वारा तत्काल उक्त अन्तरिम रूप से निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

4– कृपया उपर्युक्त निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

22/09/16

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या– 4059 (1)/71–2–16–37/2015, तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, डेन्टल काउन्सिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग विभाग /अल्पसंख्यक कल्याण/ व्यावसायिक शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

Scanned by CamScanner

4. सम्बन्धित जिलाधिकारी। (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ)
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बासमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. समस्त सम्बन्धित डेन्टल कालेज (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ)।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner